<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4940

26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना

4940. श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

श्री हरि मांझीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जीएसटी के कार्यान्वयन ने इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस्पात उद्योग के प्रौद्योगिकीगत उन्नयन के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न इस्पात उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणन को अनिवार्य बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अप्रैल से जून 2017 की अवधि में जीएसटी के क्रियान्वयन से पूर्व पूर्ण फिनिश्ड इस्पात का प्रति माह औसत उत्पादन 8.54 मिलियन टन था। यह जुलाई-फरवरी, 2017-18 की अवधि में बढ़कर 8.71 मिलियन टन प्रति माह हो गया है।

(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त उद्योग है तथा निवेश और किसी भी प्रौद्योगिकी का चयन व्यक्तिगत कंपनियों के मामले होते हैं। तथापि, सरकार इस्पात उद्योग में आरएंडडी को सुविधाजनक बनाती है।

(ग): सरकार ने नए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) एक्ट, 2016 के अंतर्गत इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 अधिसूचित किया है जिसके अंतर्गत कार्बन स्टील के 34 उत्पादों और स्टेनलेस स्टील के 3 उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणन का शासनादेश है।

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार ने निर्माण और अवसंरचना पर जोर देने के लिए 'मेक-इन-इंडिया' पहल आरंभ की है जिसके अंतर्गत देश में इस्पात की माँग और खपत को प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार ने दिनांक 08 मई 2017 को राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता प्रदान करने की नीति को अधिसूचित किया है। इन नीतियों के तहत लोहा और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।

*****